राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा
निर्वाचन सदन, प्लाट नं0 2, सैक्टर 17
पंचकुला

क्रमांकः– रा0नि0आ0/1एम0ई0/2017/1626–1630 दिनांकः– 30.08.2017

सेवा में

उपायुक्त,
गुरूग्राम, अम्बाला, यमुनानगर,
कुरूक्षेत्र और रिवाडी ।

विषयः– नगरनिगम (गुरूग्राम), नगरपालिका बराड़ा, (अम्बाला) और रादौर (यमुनानगर) के आम चुनाव तथा नगरपालिकाओं के उपचुनाव हेतू मतदान केन्द्रों की स्थापना बारे ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे आपको यह सुचित करने का निर्देश हुआ है कि नगरनिगम गुरूग्राम, नगरपालिका बराड़ा (अम्बाला) और रादौर, (यमुनानगर) के आम चुनाव तथा नगरपालिका पेहवा (कुरूक्षेत्र), पटौदी (गुरूग्राम) और धारूहेड़ा (रिवाड़ी) के वार्ड नं. क्रमशः 9, 2 व 10 के उपचुनाव दिनांक 24.09.2017 को होने निश्चित हुये है।

2. मुझे यह भी कहने का निर्दश हुआ है कि हरियाणा नगरनिगम निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 35(1) तथा हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम 34 (1) में निहित व्यवस्था अनुसार रिटरनिंग अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार मतदान केन्द्रों की स्थापना की जानी है। रिटरनिंग अधिकारी के प्रयोगार्थ हिदायतों में मतदान केन्द्रों की स्थापना बारे विस्तृत विधि दी गई है। अतः आपसे अनुरोध है कि सम्बन्धित रिटरनिंग अधिकारी को आम चुनावों के लिए आवश्यकतानुसार मतदान केन्द्रों की स्थापना तुरन्त करने हेतू तुरंत आवश्यक निर्देश दिये जाए तथा स्थापित किए गए मतदान केन्द्रों की सूची आपके माध्यम से भेजते हुए आयोग से इस बारे अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।

3. मुझे यह भी अनुरोध करने का निर्देश हुआ है कि स्थापित किये जाने वाले मतदान केन्द्र जहाँ तक सम्भव हो, केवल सरकारी भवनों में ही स्थापित किये जायें **[कोई भी मतदान केन्द किसी भी अस्पताल व जच्चा बच्चा केन्द्र (डिलीवरी सैन्टर) में या उसके आस पास स्थापित न किया जाये]**। यदि किसी कारणवश ऐसा किया जाना संम्भव न हो, और किसी प्राईवेट भवन/धर्मशाला में मतदान केन्द्र स्थापित किया जाना आवश्यक हो, तो उस स्थिति में, उस प्राईवेट भवन/धर्मशाला के मालिक से इस बारे लिखित रुप में सहमति प्राप्त कर ली जाए और यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि चुनाव लड़ने वाले किसी उम्मीदवार अथवा उसके रिश्तेदार का उस भवन या संस्था से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

भवदीय,

Sd/-
(परमाल सिहं)
सहायक राज्य निर्वाचन
आयुक्त, हरियाणा